

राजस्थान सरकार  
ऊर्जा विभाग

क्रमांक: प. 4(1) ऊर्जा/2014

जयपुर, दिनांक 21/11/14

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,  
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लि०,  
जयपुर।  
प्रबन्ध निदेशक,  
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि०, जयपुर।  
जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०,  
जयपुर/अजमेर/जोधपुर।  
वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक,  
विद्युत निरीक्षणालय,  
जयपुर।  
सचिव,  
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग,  
जयपुर।

Recd on  
21/11/14

5458  
8/12/14

Es 14  
P. C. Mandal

Ses sel  
8/12/14

विषय:—दिनांक 19.11.2014 से 25.1.14 तक "कौमी एकता सप्ताह" (राष्ट्रीय अखण्डता सप्ताह) मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत गृह (ग्रुप-13) विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 5(14) गृह-13/1996 दिनांक 18.11.14 की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

378  
3/12  
JODHPUR D.SCOM

भवदीय,  
3/12/14  
(उमाशंकर त्रिपाठी)  
शासन उप सचिव

**JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED**

No.JdVVNL\MD\Secy.(Admn.)\Ju\S.Estt.\F. ID. 1204 Dated 23/12/14

Copy to the following for information and necessary action.

1. The Chief Engineer ( ), JdVVNL,
2. The Addl./Dy. Chief Engineer ( ), JdVVNL,
3. The Zonal Chief Engineer ( ), JdVVNL,
4. The Chief Accounts Officer ( ), JdVVNL, Jodhpur.
5. The T.A. to Managing Director, JdVVNL, Jodhpur.
6. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JdVVNL, Jodhpur.
7. The Superintending Engineer ( ), JdVVNL,
8. The Dy. Director Personnel ( ), JdVVNL,
9. The TA/PA Director (Technical/Finance), JdVVNL, Jodhpur.
10. The Public Relation Officer, JdVVNL, Jodhpur.

Secretary (Admn.)  
Jodhpur Discom, Jodhpur

समस्त संभागीययुक्त,  
समस्त कलेक्टर्स,  
राजस्थान।

विषय:- दिनांक 19.11.2014 से 25.11.2014 तक " कौमी एकता सप्ताह" ( राष्ट्रीय अखण्डता सप्ताह) मनाये जाने के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशों की अनुपालना में निदेशानुसार लेख है कि हमारे देश में विघटन कार्य एवं विध्वंसक ताकतें बहुत सक्रिय हो गई हैं इसलिए देशभक्ति एवं राष्ट्रीय अखण्डता की भावना पैदा करने के लिये प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिनांक 19.11.2014 से 25.11.2014 तक " कौमी एकता सप्ताह" (राष्ट्रीय एकता सप्ताह) मनाये जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। कृपया " कौमी एकता सप्ताह" में मनाये जाने वाले कार्यक्रम संलग्न सूची के अनुसार पम्पवशाली ढंग से आयोजित करने का श्रम करें। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालयों में दिनांक 19.11.2014 को राष्ट्रीय अखण्डता की निम्नांकित शपथ ली जावे :-

" मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि देश की आजादी तथा एकता बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिए समर्पित होकर कार्य करूँगा।"

" मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी हिंसा का सहारा नहीं लूँगा तथा धर्म,भाषा, क्षेत्र से संबंधित भेदभाव और झगड़ों और अन्य राजनैतिक या आर्थिक शिकायतों का निपटारा शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीकों से करने के लिए प्रयास करता रहूँगा।"

यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (गृह मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय) भी " कौमी एकता सप्ताह" के साथ " साम्प्रदायिक सद्भाव अभियान" आयोजित करता है एवं 25 नवम्बर को "झण्डा दिवस" (Flag Day) मनाता है, जिसमें भी व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आपका सहयोग अपेक्षित है। प्रतिष्ठान साम्प्रदायिक, जातीय, नस्लीय या आतंकी हिंसा से अनाथ या निराश्रित बच्चों की सहायता एवं पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

As  
Send copies to  
all members of jaypur companies.  
मुवदीय,  
(अनिल कुमार चपलोट)  
विशिष्ट शासन सचिव, गृह

- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
  2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
  3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
  4. उप शासन सचिव, कार्मिक (एच.टी.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
  5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव/मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव, राजस्थान, जयपुर।
  6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
  7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
  8. निदेशक, जगसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया इसका व्यापक प्रचार करने की कार्यवाही करें।
  9. उप कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, राजस्थान।
  10. क्षेत्रीय अधिकारी, फील्ड पब्लिसिटी, भारत सरकार, जयपुर।
  11. प्रभारी अधिकारी, प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार, जयपुर।
  12. सचिव, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, जयपुर।
  13. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, गृह